जिसे उर्वरकों के मूल्यों के निर्धारण पर विचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अप्रैल, 1998 में सौंप दी थी;

(ग) यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करके उसे कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक किन-किन सुझावों को क्रियान्वित किया जा चुका है?;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): : (क) और (ख) यूरिया पर राजसहायता प्रदान करने की विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करने तथा वैकल्पिक विस्तृत वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रणाली का सुझाव देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति (एच पी सी) का गठन किया गया था। उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निर्धारण समिति (एच पी सी) ने अप्रैल, 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ग) और (घ) उच्चाधिकार मूल्य निर्धारण समिति (एच पी सी) ने अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान यूरिया निर्माता एककों के लिए प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना (आर पी एस) को बंद करने की सिफारिश की। इसने उसकी जगह नार्मेटिव रेफरल मूल्य (एन आर पी) व्यवस्था बनाने और राजसहायता को एन आर पी जमा डीलरों का लाभ और औसत भाड़ा और फार्मगेट मूल्य (एफ जी पी) के बीच के अंतर के बराबर समान रूप से निर्माताओं के माध्यम से दिए जाने की सिफारिश की। इसके अलावा इसने नेफथा, कोयला, ईंधन तेल तथा एलएसएचएस पर आधारित यूरिया संयत्र के संबंध में फीड स्टाक अवकुलन लागत पुनर्भुगतान (एफ डी सी आर) की सिफारिश की है। उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निर्धारण समिति (एच पी सी) के विभिन्न सिफारिशों की जांच के दौरान यह महसूस किया गया है कि विद्यमान यूरिया एककों के लिए एक समान मूल्य से उद्योग के विषम संघटन के कारण गंभीर कठिनाईयां आएंगी। इस प्रकार आर पी एस में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संशोधित प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना को बनाना उपयुक्त समझा गया है। एम आर पी एस के संबंध में प्रस्ताव और नए उर्वरक एककों के लिए मूल्य नीति के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निर्धारण समिति (एच पी सी) की सिफारिशों के लिए उर्वरक उद्योग समन्वय समिति को भेज दिया गया है। उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ आई सी सी) की सिफारिशें प्राप्त होने पर एम आर पी एस और एच पी सी की अन्य सिफारिशों के संबंध में प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।

Toxic substances in the field of agriculture

2801. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 70,000 toxic substances exist in the field of Agriculture by way of poisonous pesticides;

(b) if so, whether Government have taken any action to initiate an enquiry in the availability of these substances in the market;

(c) which are the sources (Indian & Western) from which the poisonous pesticides are being imported or procured; and

(d) what steps Government have taken to provide treatment and analytical support for poison cases besides providing information on the toxic compounds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) While a large number of pesticides are used world over, in India only 144 pesticides which are safe for human beings, animals and the environment have been registered for use in agriculture, by the Registration Committee constituted under the Insecticides Act, 1968.

(c) About 100 foreign sources (including western countries) have been approved by the Registration Committee for import of pesticides. In India there are more than 125 producers of technical grade pesticides.

(d) Pesticides are toxic in nature and can cause poisoning if mis-used/abused. The various steps taken by the

Government to provide information on these toxic compounds are as follows:

(i) Details of the chemical composition and biological nature, symptoms and signs in case of poisoning, first-aid measures to be taken in case of poisoning, management and treatment procedure including antidote statement are printed on the labels/leaflets which come with the pesticide container as a statutory requirement.

(ii) All the primary, secondary, tertiary health care units are equiped with treatment facilities for poisoned patients. However analytical support is available in some tertiary health care units.

(iii) To disseminate knowledge regarding pesticides to the medical doctors, a number of programmes to train medical doctors are organised by the Government.

(iv) Pesticide Industries Association undertake training programmes and ensure the availability of antidotes at the peripheral level.

(v) Booklets on "Treatment of pesticide Poisoning", "Know your pesticides" and "Avoid cases of pesticide poisoning" are in wide circulation to help the medical doctors for early and easy diagnosis.

Shortage of life saving drugs

2802. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether irrational drugs are flooding the market and there is a shortage of affordable life saving drugs; and

(b) if so, the steps taken to assess the drug needs of the people, define essential drugs and regulate the drug companies to help creates a favourable frame work for the Indian drug industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) No such information has been received in this Department.

(b) Does not arise.

स्क्रैप के लिए जहरीले जलपोतों के आयात पर पाबंदी

2803. **श्री रामजीलाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जनवरी, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" में "जहरीले जलपोतों को स्क्रैप के लिए एशिया में भेजने पर पाबंदी की मांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि काफी समय से ये जलपोत स्क्रैपिंग के लिए भारत में आते रहे हैं और हर बार लोग सरकार से इस प्रकार से उनके यहां लाए जाने पर रोक लगाने की मांग करते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत में स्क्रैपिंग के लिए जलपोतों के आने पर कब तक पूर्णतया पाबंदी लगाए जाने की संभावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) जी, हां। 23 अक्तूबर, 1989 से जलपोतों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत किया जाता है तथा इस समय देश में जलपोत-भंजन पर पाबंदी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Endangered Wild Life Sanctuaries in Bihar and West Bengal

2804. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the details of endangered Wild Life Sanctuaries due to Flood and Erosion in Bihar and West Bengal;

(b) whether project proposals for protection of national parks and wild life sanctuaries in Bihar and West Bengal were received by the Ministry;